न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :–126 / 2023

प्रार्थीगणः–

1. लालसिंह पुत्र हुकमसिंह
2. सूरसिंह पुत्र हुकमसिंह
3. मालमसिंह पुत्र हुकमसिंह
   जाति राजपूत निवासी धीरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. करणसिंह पुत्र जेससिंह उर्फ जेतसिंह
3. श्रीमती द्रोपकंवर पत्नी जेससिंह
4. धनसिंह पुत्र रूपसिंह
5. भबूतसिंह पुत्र रूपसिंह
6. मेहरसिंह पुत्र रूपसिंह
7. वीरसिंह पुत्र रूपसिंह
8. शेरसिंह पुत्र जेससिंह उर्फ जेतसिंह
9. सोनसिंह पुत्र रणजीतसिंह
   जाति राजपूत निवासी धीरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–श्री नेहपालसिंह
वकील प्रार्थीगण

–:: आदेश ::– दिनांक :–11.03.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 105 व 239 / 138 कुल रकबा 04.1602 हैक्टेयर ग्राम कुम्हारों की ढाणी एवं खसरा संख्या 346 व 350 कुल रकबा 0.9551 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 636 / 74 रकबा 5.5765 हैक्टेयर ग्राम धीरा एवं खसरा संख्या 458 रकबा 1.5945 हैक्टेयर नवसृजित ग्राम महादेवनगर और खसरा संख्या 638 / 154 व 640 / 107 कुल रकबा 3.9822 हैक्टेयर नवसृजित विशनपुरा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात–यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक आदि में उनके पिता का [illegible] है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण के पिता का नाम हुकमसिंह के स्थान पर 'हकसिंह / हुक्मसिंह' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं [illegible] रहे है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम [illegible] करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामील रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.09 18:51:20 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक–भू.अ. / वाद / 2024/236 दिनांक 30.01.2024 द्वारा प्रार्थीगण के पिता के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थीगण वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम हुकमसिंह है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता हुकमसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा त्रुटिवश नाम उनके पिता का नाम हकसिंह / हुक्मसिंह लिख दिये जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक व प्रार्थीगण के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनके पिता का नाम हुकमसिंह दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय प्रार्थीगण के पिता का नाम हकसिंह / हुक्मसिंह दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम हुकमसिंह होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कुम्हारों की ढाणी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 105 व 239 / 138 कुल रकबा 04.1602 हैक्टेयर एवं ग्राम धीरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 346 व 350 कुल रकबा 0.9551 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 636 / 74 रकबा 5.5765 हैक्टेयर तथा नवसृजित ग्राम महादेवनगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 458 रकबा 1.5945 हैक्टेयर और नवसृजित ग्राम विशनपुरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 638 / 154 व 640 / 107 कुल रकबा 3.9822 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम 'हकसिंह / हुक्मसिंह' के स्थान पर 'हुकमसिंह' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.09 18:51:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)